राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–29/2020

रमजान खान पुत्र वारस खान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 17, बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 16.02.2021

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित खाता संख्या 921 के भूमि खसरा नंबर 294/1384 रकबा 1.29 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदार काश्तकार भूमि हैं। प्रार्थी का नाम सहवान से रमजान खान पुत्र वारस खान के स्थान पर रमजान पुत्र वारिशखाँ दर्ज हो गया है। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आदि दस्तावेज पेश किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि रमजान पुत्र वारिशखाँ के स्थान पर रमजान खान पुत्र वारस खान दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित रमजान पुत्र वारिशखाँ के स्थान पर रमजान खान पुत्र वारस खान फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित खाता संख्या 921 के भूमि खसरा नंबर 294/1384 रकबा 1.29 है0 में रमजान पुत्र वारिशखाँ दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवान से रमजान खान पुत्र वारस खान के स्थान पर रमजान पुत्र वारिशखाँ दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित खाता संख्या 921 के भूमि खसरा नंबर 294/1384 रकबा 1.29 है0 जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित रमजान पुत्र वारिशखाँ के स्थान पर रमजान खान पुत्र वारस खान दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

...ए.एस.)

—: आदेश :—

प्रार्थी/अधिवक्ता व खाता दुरूस्ती प्रार्थना—पत्र एंव पटवारी हल्का **बिसाऊ** व भू0अ0अ0नि0 **बिसाऊ** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मलसीसर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण ग्राम **बिसाऊ** तहसील **मलसीसर** जिला झुंझुनूं की जमाबन्दी सम्वत् ***2074—2077*** के खाता संख्या **921** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

क. स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	बिसाऊ	खाता संख्या 921 के भूमि ख.न. 2294/1384 रकबा 1.2900 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2900 है0	रमजान पुत्र वारिशखाँ	रमजान खान पुत्र वारस खान

नोटः— खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

शकुन्तला
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,मलसीसर

कमांकः— राजस्व/2021/ 356-58 दिनांक :—

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार मलसीसर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवायी जानी सुनिश्चित करें।
2. रमजान खान पुत्र वारस खान निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू को सूचनार्थ।
3. आदेश रक्षित पत्रावली।

शकुन्तला
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर